रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18042022-235181
CG-DL-E-18042022-235181

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1742] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 18, 2022/चैत्र 28, 1944
No. 1742] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 18, 2022/CHAITRA 28, 1944

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2022

का.आ. 1831(अ)—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20(क) की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 4071 (अ) तारीख 01 अक्तूबर, 2021 द्वारा जारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 05 अक्तूबर, 2021 में प्रकाशित अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसुची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन उक्त अधिसूचना का सार दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात्, ''द टाईम्स ऑफ इण्डिया'', तारीख 19 अक्तूबर, 2021 और ''दैनिक पुण्यनगरी'', तारीख 19 अक्तूबर, 2021, में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक आक्षेप प्राप्त हुआ था और उस पर विचार किया गया तथा उसे अननुज्ञात कर दिया गया ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को सौंप दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रुप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि का, संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण.

जिले का नामः पालघर

क्रम संख्या	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	हिस्सा संख्या	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	वसई	शिरगाव	384 पैकी		खेती	निजी	0.0254	राजश्री सुधाकर भोईर पांडूरंग बालकृष्ण पाटील जयराम बालकृष्ण पाटील धनंजय बालकृष्ण पाटील विजय बालकृष्ण पाटील वासंती जयकीसन पाटील भारती अंनत राउत

[फा. सं. 2022/एलएमएल–II/12/1/डब्ल्यू सी/2302]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2022

S.O. 1831(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 4071 (E), dated the 01st October, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 05th October, 2021 and issued under sub-section (1) of section 20(A) of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Palghar in the State of Maharashtra;

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers namely, "The Times of India", dated the 19th October, 2021 and "Dainik Punyanagari", dated the 19th October, 2021 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, one objection was received and the same has been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure, for the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Palghar in the State of Maharashtra.

Name of the District: Palghar.

Serial Number	Name of Taluka	Name of Village	Survey Number	Hissa Number	Nature of land	Type of land	Area in Hectares	Name of the land Owners / Interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Vasai	Shirgaon	384 Part		Agriculture	Private	0.0254	Rajashree Sudhakar Bhoir Pandurang Balkrushna Patil Jayram Balkrushna Patil Dhananjay Balkrushna Patil Vijay Balkrushna Patil Vasant Jaykisan Patil Bharati Anant Raut.

[F.No. 2022/LML-II/12/1/WC/2302]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (Land and Amenities)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.04.18 22:45:53 +05'30'